न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर, जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :–राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 11/2026

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. गिरधारी पुत्र भेरा उम्र 44 वर्ष 2. पदमी पत्नी भेरा उम्र 60 वर्ष 3. लाभूराम पुत्र हेमाराम उम्र 42 वर्ष 4. हडूमानराम पुत्र हेमाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी रामसर, आगौर तहसील, रामसर जिला बाडमेर 5. ईश्वरसिंह पुत्र गंगासिंह उम्र 69 वर्ष जाति राजपूत निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाडमेर।		तहसीलदार (भू.अ.) रामसर, जिला–बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते सही तरमीम की घोषणा करवाने बाबत्।

उपस्थित :–

1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता वादीगण
2. राज पैरोकार

सहायक कलक्टर ★ रामसर (बाड़मेर) ★

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 18.02.2026

संक्षेप में राजस्व वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 418/217, 419/217 रकबा क्रमशः 0.0554, 7.1237 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1791 हैक्टेयर , वादी संख्या 3 से 4 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 421/343, 422/343 रकबा क्रमशः 4.8973, 2.0633 हैक्टेयर कुल रकबा 6.9606 हैक्टेयर ,वादी संख्या 5 की खातेदारी के खेत खरा नंबर 216/68,397/68 रकबा क्रमशः 23.1237, 8.4417 हैक्टेयर कुल रकबा 37.7814 हैक्टेयर , प्रतिवादी की खातेदारी दर्ज खसरा नंबर 417/217, 420/343 रकबा क्रमशः 0.1052181, 0.323748 हैक्टैयर मौजा रामसर आगौर, पटवार मण्डल बबुगुलेरिया, तहसील रामसर, जिला बाडमेर में आये हुये हैं। वादीगण एंव प्रतिवादी की खातेदारी के खेत मूल खसरा नंबर 68 से विभक्त खसरा नंबरान है। जो कि पूर्व में मूल खसरा नंबर की भूमि वादीगण की सयुंक्त खातेदारी मे दर्ज थी जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा वादीगण द्वारा मूल खसरा नंबर की भूमि में से प्रतिवादी को रास्ते बाबत भूमि समर्पण की गई थी जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है। लेकिन सेग्रीगेशन अभियान के दौरान राजस्व कर्मचारियों नें अपनें क्षैत्राधिकार का उलंघन करते हुये त्रूटिपूर्ण विधिक प्रकिया अपना कर वादीगण एंव प्रतिवादी के खाते पृथक पृथक खसरा नंबरान के रूप में दर्ज करके राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन नक्शा में भी वादीगण एंव प्रतिवादी के मौके पर विद्यमान कब्जे काश्त के विपरीत पृथक पृथक त्रूटिपूर्ण तरमीम अंकित कर दी गई। लेकिन वादीगण द्वारा उक्त वाद[illegible] की पृथक तरमीम करनें सबंधित अपनी ओर से कोई भी सहमती नही[illegible] आराजी पर अपनें अपनें हिस्से अनुसार मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त[illegible] काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रूटिपूर्ण तरमीम अंकित कर देने से वादीगण एंव प्रति[illegible] मौके पर कब्जा काश्त एंव राजस्व रेकर्ड लठा नक्शा एंव ऑनलाइन नक्शा में भारी भिन्नता आ[illegible] जिसे वादीगण दुरस्त कर सही तरमीम की घोषणा करवानें के अधिकारी होनें से यह वाद दिनांक 30.01.2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) रामसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार रामसर से वाद पत्र में अंकित तथ्यों के संबध में जवाब मय मौका रिपोर्ट चाही गई जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/कोर्ट/2026/288 दिनांक 06.02.2026 इस न्यायालय में दिनांक 09.02.2026 को प्राप्त हुई। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा रामसर आगौर के खसरा संख्या 418/217, 419/217, 421/343, 422/343, 216/68, 397/68, 417/217 व 420/343 रकबा क्रमशः 0.0554, 7.1237, 4.8973, 2.0633, 23.1237, 8.4417, 0.1052 व 0.3237 हैक्टेयर की वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती बरंग, नजरी नक्शा एवं परिशिष्ट "ब" अनुसार शुद्वि किया जाना उचित हैं।

हमने वादीगण वकील की तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किये जानें में इस न्यायालय को कोई आपति प्रतित नही होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 418/217, 419/217 रकबा क्रमशः 0.0554, 7.1237 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1791 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 से 4 की सयुंक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 421/343, 422/343 रकबा क्रमशः 4.8973, 2.0633 हैक्टेयर कुल रकबा 6.9606 हैक्टेयर ,वादी संख्या 5 की खातेदारी के खेत खरा नंबर 216/68, 397/68 रकबा क्रमशः 23.1237, 8.4417 हैक्टेयर कुल रकबा 31.5654 हैक्टेयर , प्रतिवादी की खातेदारी दर्ज खसरा नंबर 417/217, 420/343 रकबा क्रमशः 0.1052, 0.3237 हैक्टेयर मौजा रामसर आगौर, पटवार मण्डल बबुगुलेरिया, तहसील रामसर, जिला बाडमेर की भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा एंव ऑनलाईन नक्शा में अंकित तरमीम को तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलग्न परिशिष्ट "**ब**" अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एंव सलग्न नक्शा परिशिष्ट "**ब**" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा इसी अनुसार तहसीलदार रामसर को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार पृथक से डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक **18.02.2026** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (राजस्व) रामसर (बाड़मेर)

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर
सहायक कलक्टर, रामसर
दिनांक : 18/2/2026

क्रमांक : रीडर/2026/70-71
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. वादीगण गिरधारी पुत्र भेरा वगैराह।

18/2/2026
सहायक कलक्टर, रामसर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिकी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cilil Procedure Code, Appendix "d"1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर, जिला–बाड़मेर

बइजलास श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या – 11/2026

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. गिरधारी पुत्र भेरा उम्र 44 वर्ष 2. पदमी पत्नी भेरा उम्र 60 वर्ष 3. लाभूराम पुत्र हेमाराम उम्र 42 वर्ष 4. हडूमानराम पुत्र हेमाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी रामसर, आगौर तहसील, रामसर जिला बाडमेर 5. ईश्वरसिंह पुत्र गंगासिंह उम्र 69 वर्ष जाति राजपूत निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाडमेर।		तहसीलदार (भू.अ.) रामसर, जिला–बाड़मेर

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते सही तरमीम की घोषणा करवाने बाबत्।

दिनांक :– 18.02.2026

डिक्री पर्चा

यह मुकदमात आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी वादीगण श्री कंवराज बैनिवाल वकील मिनजानिब मुददाई मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:– कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामसर आगौर, पटवार हल्का बबुगुलेरिया, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में अवस्थित वादी संख्या 1 से 2 क संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 418/217, 419/217 रकबा क्रमशः 0.0554, 7.1237 हैक्टेयर कुल रकबा 7.1791 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 से 4 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 421/343, 422/343 रकबा क्रमशः 4.8973, 2.0633 हैक्टेयर कुल रकबा 6.9606 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 216/68, 397/68 रकबा क्रमशः 23.1237, 8.4417 हैक्टेयर कुल रकबा 31.5654 हैक्टेयर, प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 417/217, 420/343 रकबा क्रमशः 0.1052, 0.3237 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा एवं ऑनलाईन नक्शा में अंकित तरमीम को तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट **"ब"** अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार रामसर को मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट **"ब"** अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

बीज.......... मुबलीग............. बाबत

यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद.......फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **18.02.2026** को जारी की गई।

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर
रामसर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबुत			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.02.20 10:45:38 IST
Reason: SelfAttested

18/2/2026
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
रामसर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner